झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

सिविल रिट याचिका – 4593/2017

रविन्द्र प्रसाद ..... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1.झारखंड राज्य

2.सचिव, पथ निर्माण विभाग (आर.सी.डी.), झारखंड सरकार

3.अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग (आर.सी.डी.), पथ प्रमंडल हजारीबाग

4.कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग (आर.सी.डी.), पथ प्रमंडल गिरिडीह

..... **प्रतिवादी**

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय प्रसाद

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री अंकित कुमार, ए.सी. टू जी.पी.-VI

न्यायालय में मौखिक निर्णय

09/29.01.2024 यह रिट याचिका याचिकाकर्ता की ओर से दिनांक 26.11.2015 के कार्यालय आदेश (अनुलग्नक 8) को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को झारखंड सेवा संहिता के नियम 227 और 248 के तहत चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 04.04.2015 से 14.6.2015 तक की अवधि के लिए 72 दिनों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, जिससे 72 दिनों की उक्त अवधि के लिए परिवर्तित अवकाश के लिए आवेदन को अस्वीकार करने के कारण 51,243/- रुपये का नुकसान हुआ है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री राजेश कुमार और राज्य के विद्वान वकील श्री अंकित कुमार को सुना गया।

3. प्रस्तुत है कि जब याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त होने के कगार पर था, तब उसे ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ी, जिसके लिए उसने 04.04.2015 से 14.6.2015 तक की अवधि के लिए 72 दिनों के परिवर्तित अवकाश के लिए कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, (पथ प्रमंडल), गिरिडीह के समक्ष आवेदन दिया था। हालांकि, अधीक्षण अभियंता द्वारा इसे खारिज कर दिया गया और कार्यपालक अभियंता को अपने स्तर पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया तथा जब याचिकाकर्ता ने भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष आवेदन दिया, तो उसे परिवर्तित अवकाश के स्थान पर अर्जित अवकाश के लिए अपने पूर्व आवेदन का उल्लेख किए बिना नए आवेदन के साथ आवेदन करने का निर्देश दिया गया। अंत में, विभाग के दबाव में और पैसे की सख्त जरूरत के कारण, याचिकाकर्ता ने 18.10.2015 को अर्जित अवकाश प्रदान करने के लिए अभ्यावेदन दायर किया था और उसके बाद, 26.11.2015 को आरोपित आदेश पारित किया गया (अनुलग्नक 8) जिसमें झारखंड सेवा संहिता के नियम 227 और 248 के तहत 72 दिनों की अर्जित छुट्टी प्रदान की गई। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसी तरह की स्थिति वाले व्यक्ति को अनुलग्नक 11 श्रृंखला के अनुसार, सुरेश कुमार रस्तोगी को उसी अधीक्षण अभियंता, यानी प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा झारखंड सेवा संहिता के नियम 234 के तहत 62 दिनों की अवधि के लिए परिवर्तित अवकाश प्रदान किया गया है और इसलिए, अर्जित अवकाश के बजाय चिकित्सा आधार पर परिवर्तित अवकाश स्वीकृत करने में संशोधित आदेश पारित किया जा सकता है और इस रिट याचिका को अनुमति दी जा सकती है।

4. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि रिट याचिका विचारणीय नहीं है तथा आरोपित आदेश उचित एवं उचित है तथा इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 14.10.2015 को 72 दिनों के लिए अर्थात् दिनांक 04.04.2015 से 14.6.2015 तक की अवधि के लिए कम्यूटेटिव अवकाश स्वीकृत करने के लिए आवेदन किया था तथा उक्त आवेदन के आलोक में प्राधिकारियों ने दिनांक 26.11.2015 का कार्यालय आदेश पारित किया है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि कार्यपालक अभियंता, जो सड़क निर्माण विभाग/प्रभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के संवर्ग नियंत्रक के रूप में भी कार्य करते हैं, के लिए भी उच्च प्राधिकारियों से दिशा-निर्देश मांगना सदैव विधिसम्मत है तथा दिशा-निर्देश पत्र

संख्या 927 डब्ल्यूई दिनांक 10.07.2015 द्वारा दिए गए थे। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता का 243 दिन का पूर्ण वेतन और 57 दिन का अर्ध वेतन देने का आवेदन विभाग द्वारा पत्र संख्या 793 दिनांक 28.4.2016 के माध्यम से विधिवत स्वीकार कर लिया गया है और कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा जारी दिनांक 18.01.2016 के पत्र के अनुरूप है, इसलिए यह रिट याचिका खारिज की जाए।

5. रिकॉर्ड का अवलोकन किया और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया।

6. पक्षों की दलीलों से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 15.4.1980 को तत्कालीन बिहार राज्य के पथ निर्माण विभाग में हुई थी और वह 15.4.1980 से 19.06.1986 तक चतरा आरसीडी में वरिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर पदस्थापित रहे। इसके बाद उनका तबादला विभिन्न जिलों में हुआ और अंत में 01.8.1997 को उनका तबादला गिरिडीह आरसीडी में हुआ और वे 30.11.2015 को अपनी सेवानिवृत्ति तक वहीं पदस्थापित रहे।

7. ऐसा प्रतीत होता है कि जब याचिकाकर्ता आर.सी.डी. में तैनात था, तब वह एन.एच. नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंस, बैंगलोर में "ओपन हार्ट सर्जरी" के इलाज के लिए 04.04.2015 से 14.6.2015 तक मेडिकल अवकाश पर रहा और उसे 29.4.2015 को उक्त अस्पताल से 30 दिनों तक आराम करने और समय-समय पर सलाह के अनुसार दवा जारी रखने की सलाह के साथ छुट्टी दे दी गई।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने 15.6.2015 को अपना कार्यभार संभाला और उसके बाद उन्होंने कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, गिरिडीह के समक्ष अनुलग्नक 1 श्रृंखला में निहित आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके 04.04.2015 से 14.6.2015 तक चिकित्सा आधार पर परिवर्तित अवकाश की मंजूरी के लिए आवेदन किया।

8. हालांकि, याचिकाकर्ता के उक्त आवेदन को कार्यपालक अभियंता ने अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, हजारीबाग को 72 दिनों के परिवर्तित अवकाश के लिए अग्रेषित कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से, दिनांक 10.07.2015 के पत्र के माध्यम से, अधीक्षण अभियंता-प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता के आवेदन को कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, गिरिडीह (प्रतिवादी संख्या 4) को इस निर्देश के साथ

वापस कर दिया कि वह, यानी कार्यपालक अभियंता स्वयं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश या परिवर्तित अवकाश या कोई अन्य अवकाश देने के लिए सक्षम हैं।

इसके बाद, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, गिरिडीह ने पुनः याचिकाकर्ता की छुट्टी को अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, हजारीबाग को संदर्भित किया, ताकि 72 दिनों की परिवर्तित छुट्टी प्रदान की जा सके तथा अनुलग्नक 3 के अनुसार 144 दिनों के लिए अर्ध वेतन स्वीकृत किया जा सके।

हालाँकि, अधीक्षण अभियंता ने पुनः दिनांक 29.09.2015 के पत्र के माध्यम से 04.04.2015 से 14.6.2015 तक की अवधि के लिए परिवर्तित अवकाश प्रदान करने के लिए कार्यकारी अभियंता द्वारा भेजे गए याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता से अर्जित अवकाश प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था और जिसकी सूचना ज्ञापन संख्या 2205 दिनांक 07.10.2015 के माध्यम से याचिकाकर्ता को दी गई थी।

9. इस प्रकार, उपरोक्त परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने विभाग के दबाव में तथा अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 14.10.2015 को अनुलग्नक 6 के तहत दिनांक 04.04.2015 से 14.6.2015 तक की अवधि के लिए अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिए आवेदन दायर किया। तत्पश्चात, पुनः कार्यपालक अभियंता ने याचिकाकर्ता के उक्त पत्र को अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिए अधीक्षण अभियंता, आर.सी.डी.-रोड सर्किल, हजारीबाग को अग्रसारित कर दिया, जबकि अधीक्षण अभियंता ने कार्यपालक अभियंता को सूचित किया था कि वे याचिकाकर्ता को अपने स्तर पर परिवर्तित अवकाश/अर्जित अवकाश अथवा अन्य कोई अवकाश स्वीकृत करें, क्योंकि वे ग्रुप III एवं ग्रुप IV कर्मचारियों के कैडर नियंत्रण पदाधिकारी हैं। इसके बाद दिनांक 26.11.2015 के कार्यालय आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को 04.04.2015 से 14.06.2015 तक की अवधि के लिए अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया। विभाग ने अपने जवाबी हलफनामे के पैरा 13, 15, 16, 17 और 18 में उक्त तथ्यों को उचित ठहराया है।

10. विभाग का दृष्टिकोण अमानवीय एवं भेदभावपूर्ण है। परिशिष्ट 1 की श्रृंखला से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता जब सेवानिवृत्त होने के कगार पर था, तब उसे "ओपन हार्ट

सर्जरी" करानी पड़ी और इसके लिए वह 04.04.2015 से 14.06.2015 तक अवकाश पर रहा, लेकिन फिर भी उसे अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, गिरिडीह को जारी पत्र दिनांक 29.09.2015 के माध्यम से अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिए अभ्यावेदन दाखिल करने के लिए बाध्य किया गया।

11. एक ओर उक्त अधीक्षण अभियंता ने झारखंड सेवा संहिता के स्थान पर बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के अंतर्गत पत्रांक 2063 दिनांक 16.10.2014 के माध्यम से सुरेश रस्तोगी को परिवर्तित अवकाश प्रदान किया है, तथा दूसरी ओर याचिकाकर्ता को परिवर्तित अवकाश के स्थान पर अर्जित अवकाश प्रदान करने के लिए अभ्यावेदन दायर करने के लिए बाध्य किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 और 4 की कार्रवाई अत्यधिक भेदभावपूर्ण है तथा कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है।

12. अधिकारियों को उन कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करने के मामले पर विचार करते समय उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था जो वस्तुतः सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं और जिन्होंने "ओपन हार्ट सर्जरी" जैसे बड़े ऑपरेशन करवाए हैं।

13. ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यकारी अभियंता प्रतिवादी संख्या 4 ने याचिकाकर्ता के मामले को परिवर्तित अवकाश स्वीकृत करने के लिए अधीक्षण अभियंता-प्रतिवादी संख्या 4 को संदर्भित करके गंभीर अवैधता की है और यहां तक कि अधीक्षण अभियंता, जिन्होंने स्वयं कहा है कि कार्यकारी अभियंता परिवर्तित अवकाश या अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम हैं, ने भी उदार दृष्टिकोण अपनाने के बजाय याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करके आदेश पारित कर दिया है।

14. उक्त परिस्थितियों में अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग (आर.सी.डी.), पथ प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश दिनांक 26.11.2015-प्रतिवादी संख्या 3 को झारखंड सेवा संहिता के नियम 227 एवं नियम 248 के अंतर्गत दिनांक 04.04.2015 से 14.06.2015 तक कुल 72 दिनों के लिए अर्जित अवकाश स्वीकृत करने की सीमा तक निरस्त किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 4 दोनों को झारखंड सेवा संहिता के नियम 234 के आलोक में अवकाश स्वीकृत करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है, जो संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान उच्च

सेवारत सरकारी सेवक के मामले में 180 दिनों की सीमा के अधीन तथा निम्न सेवारत सरकारी सेवक के मामले में 120 दिनों की सीमा के अधीन चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाना है।

15. इस रिट याचिका को उपरोक्त निर्देश और टिप्पणियों के साथ अनुमति दी जाती है।

(न्यायमूर्ति श्री संजय प्रसाद)

s.m./
A.F.R.

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।